समाहरणालय, कोडरमा।
(राजस्व शाखा)

पत्रांक................/रा0 दिनांक ..../.........../2018

सेवा में,

महालेखाकार, झारखण्ड,
पोस्ट–हिनू, राँची।

विषय :– मंत्रीपरिषद की बैठक दिनांक 04.10.2016 के मद संख्या–02, में लिये गये निर्णय (विभागीय संकल्प संख्या–5504/रा0 दिनांक 07.10.2016) के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी **(Vertical-I)** निर्माण हेतु जिले के अंचल–कोडरमा अन्तर्गत मौजा–कोडरमा, थाना नं0–333, खाता नं0–235, प्लॉट नं0–4093, रकवा–2.00 एकड़ गैरमजरूआ खास किस्म–परतीकदीम भूमि को नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार को अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण के संबंध में।

आदेश – स्वीकृत।

1. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तांतरित की जा रही है, उस प्रयोजन हेतु उसकी आवश्यकता नहीं रहने पर अथवा उस प्रयोजन हेतु उसका उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।
2. संबंधित विभाग के द्वारा छः माह के अन्दर कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय।
3. अन्य सभी शर्तें "इस्टेट मैनुअल" में निहित प्रावधानों एवं समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होंगी।

ह0/-
उपायुक्त,
कोडरमा।

ज्ञापांक :–882/रा0 दिनांक 27/06/2018

प्रतिलिपि :– निदेशक नगर विकास एवं आवास विभाग, नगरीय प्रशासन निदेशालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कोडरमा/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, कोडरमा को मूल अभिलेख संख्या–03/2018–19 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
कोडरमा।